अनुशंसा प्रमाण–पत्र

परियोजना का नामः– मोरण्ड–गंजाल वृहद सिंचाई परियोजना
प्रस्तावित वनक्षेत्र :–

(1)नर्मदापुरम सा.:– 1215.42 हेक्टेयर
(2)हरदा सा. :– 831.09 हेक्टेयर

1–	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा मान्य करने के संबंध में वन सरक्षक का कारण सहित अभिमत नोटः– आवेदित वन भूमि के व्यपवर्तन से जिले/राज्य के वन एवं पर्यावरण पर संभावित विपरीत प्रभाव एवं प्रस्तावित परियोजना से संभावित लाभों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव मान्य/अमान्य करने बावत स्पष्ट अभिमत दिया जावे। यदि किन्हीं विशेष शर्तों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति पर विचार किया जा सकता हैं, तो उन शर्तों का ब्यौरा दिया जावे।	मोरंड गंजाल वृहद् सिंचाई परियोजना में 64111 हे. भूमि की सिचाई भूमिगत दाब पाईप लाईन के माध्यम से की जायेंगी जो नर्मदा की सहायक नदियों मोरंड और गंजाल पर अलग से बनाये गये बांधों से निकलती है। इस योजना के माध्यम से 201 गांव को सिंचाई की सुविधा एवं पेयजल आपूर्ति की जावेगी। यद्यपि प्रभावित वनभूमि में सतपुडा–मेलघाट टाईगर रिजर्व वाईल्ड लाईफ कॉरीडोर भी आता हैं तथा क्षेत्र में वन्यप्राणीयों का रहवास हैं। वन्यप्राणीयों के जीवन एवं प्रजनन पर परियोजना का विपरीत प्रभाव पडेगा साथ ही वन्यप्राणी रहवास क्षेत्र संकुचित होने के कारण वन्यप्राणी–मानव द्वन्द भी बढेगा तथापि प्रस्तावित वन भूमि का व्यपवर्तन व्यापक जनहित में हैं, अतः क्षेत्र में वन एवं वन्यजीव के संरक्षण और संवर्धन हेतु उपयुक्त शमन उपायों को सम्मिलित करने तथा अंतिम अनुमोदन से पूर्व **राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड** से अनुमति प्राप्त करने की शर्त के साथ वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु मैं सहमति व्यक्त करता हूँ।

(एस.के.एस. तिवारी)
वन संरक्षक
नर्मदापुरम वृत्त, नर्मदापुरम म.प्र.